बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि आराजी कन्हीराम सोन्ध्या के स्वामित्व व कब्जे की आराजी थी,कन्हीराम का विवाह केसर बाई से हुआ था– केसर बाई से एक पुत्र शिवसिंह वादी न0 1 है– केसर बाई का सन0 1952 में स्वर्गवास हो गया था – केसर बाई के स्वर्गवास के बाद कन्हीराम जी ने मेहताब बाई को रख लिया था– कन्हीराम जी के मेहताब बाई से तीन पुत्र व तीन पुत्रियां रेस्पो0 1 लगायत 6 हुए– कन्हीराम का स्वर्गवास 1995 में हो गया था तथा मेहताब बाई का स्वर्गवास 18.11.2019 हुआ। कन्हीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त विवादग्रस्त आराजी कन्हीराम के उत्तराधिकारीगण पुत्र शिवसिंह,कालूसिंह, भैरूसिंह, रामलाल तथा मेहताब बाई के नाम दर्ज हुवी एंव पुत्रियों ने अपना हक लेने से मना कर दिया था उक्त आराजी में मेहताब बाई का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया था जबकि असली हकदार कन्हीराम की वैधानिक पत्नी केसर बाई ही थी। इस कारण मेहताब बाई के हिस्सा गलत दर्ज हो गया था– उसको सही इन्द्राज किया जाकर वह हिस्सा अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी में शिवसिंह के नाम का होना प्रकियाधीन बताया गया है जबकि नामान्तरकरण में उनका नाम तस्दीक नही किया गया है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी का नाम नामान्तरकरण में होना चाहिये। नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि आराजी कन्हीराम कन्हीराम सोन्ध्या के स्वामित्व व कब्जे की थी, कन्हीराम की मृत्यु उपरान्त मेहताब बाई का नाम नामान्तरकरण में तस्दीक किया गया व मेहताब बाई की मृत्यु के उपरान्त मेहताब बाई के हिस्से का उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो उचित है। अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ में इस बाबत एक दावा भी प्रस्तुत किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलियों का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया– दोनो प्रकरणों का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि कन्हीराम जिसकी वादग्रस्त आराजी स्वामित्व व कब्जे की थी, उक्त आराजी पर कन्हीराम की मृत्यु उपरान्त पुत्र शिवसिंह या मेहताब बाई किसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक होना चाहिये था? प्रकरण के अवलोकन से कन्हीराम की मृत्यु 1995 में होना अपील मेंमों में जाहिर किया गया है व कन्हीराम की मृत्यु उपरान्त ही ग्राम नेउखेडी व ग्रम बडाय की उसकी आराजी बाबत नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है। कन्हीराम की स्वामित्व की आराजी में उसकी मृत्यु उपरान्त अलग–अलग नामान्तरकरण उसके कायम मुकामान में मेहताब बाई व उसके उत्तराधिकारीयों के नाम तस्दीक होना जाहिर है व मेहताब बाई की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसको खारिज करवाने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आराजी बाबत घोषणात्मक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ में प्रस्तुत होना दौराने बहस व्यक्त किया गया है। जब उक्त आराजी बाबत नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में उक्त आराजी बाबत निस्तारण उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय उपरान्त स्वतः ही हो जावेगा। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में सलंग्न की जावे । पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रकरण सख्यां 37/अपील/20 यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 09.07.2020 जिसके द्वारा ग्राम बडाय की जमाबन्दी संख्या 657 की आराजी खसरा न0 1214 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, ख0न0 1501 रकबा 0.8093 हेक्टेयर, ख0न0 1502 रकबा 0.4426 हेक्टेयर, ख0न0 1503 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, ख0न0 1517 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, ख0न0 1518 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, ख0न0 1524 रकबा 0.4299 हेक्टेयर, ख0न0 1538 रकबा 0.2782 हेक्टेयर, ख0न0 1737 रकबा 0.5690 हेक्टेयर, ख0न0 373 रकबा 0.7461, ख0न0 374 रकबा 0. 7461, ख0न0 375 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 12 रकबा 3.8567 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण सख्यां 2045 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 3 के सयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त आराजी कन्हीराम आ0 भवानीसिंह सोन्ध्या के स्वामित्व व खातेदारी की आराजी थी। जिसका पुराना खाता सख्यां 24 ख0न0 373 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 374 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 375 रकबा 1 बीघा, ख0न0 1214 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 1501 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा,ख0न0 1502 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा,ख0न0 1503 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 1517 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 1518 रकबा 14 बिस्वा,ख0न0 1524 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा,ख0न0 1538 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा,ख0न0 1737 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुला 12 किता रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा है।

अपीलान्ट्स द्वारा अपील मेमों में निवेदन किया है कि उक्त आराजी कन्हीराम सोन्ध्या के स्वामित्व व कब्जे की आराजी थी,कन्हीराम का विवाह केसर बाई से हुआ था– केसर बाई से एक पुत्र शिवसिंह वादी न0 1 है– केसर बाई का सन0 1952 में स्वर्गवास हो गया था जिसका सारा क्रिया कर्म आदि अपीलान्ट न0 1 द्वारा ही किया गया था। कन्हीराम का स्वर्गवास 1995 में हो गया था जिनका सारा क्रिया कर्म आदि भी अपीलान्ट न0 1 द्वारा ही किया गया व पगडी भी उसी के बन्धी थी। केसर बाई के स्वर्गवास के बाद कन्हीराम जी ने मेहताब बाई को रख लिया था– कन्हीराम जी के मेहताब बाई से तीन पुत्र व तीन पुत्रियां रेस्पो0 1 लगायत 6 हुए। मेहताब बाई के स्वर्गवास के बाद मेहताब बाई का सारा क्रिया कर्म अपीलान्ट न0 1 के सहयोग से किया गया। कन्हीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त विवादग्रस्त आराजी कन्हीराम के उत्तराधिकारीगण पुत्र शिवसिंह,कालूसिंह, भैरूसिंह, रामलाल तथा मेहताब बाई के नाम दर्ज हुवी एंव पुत्रियों ने अपना हक लेने से मना कर दिया था उक्त आराजी में मेहताब बाई का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया था जबकि असली हकदार कन्हीराम की वैधानिक पत्नी केसर बाई ही थी। कन्हीराम के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट न0 1 द्वारा पूरे परिवार का लालन पालन,पढाई लिखायी,शादी आदि का पूरा खर्चा किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट न0 1 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नही करके कानूनी व तथ्यपूर्ण गलती की है। नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण में दर्ज आराजी पुश्तेनी है जिसमें अपीलान्ट्स के जन्म से ही अधिकार है। मेहताब बाई के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा अपीलान्ट न0 1 प्राप्त करने का अधिकारी है । कन्हीराम के वैधानिक विवाहिता पत्नी केसर बाई थी तथा मेहताब बाई कन्हीराम की वैधानिक पत्नी नही है– इस कारण मेहताब बाई के हिस्सा गलत दर्ज हो गया था– उसको सही इन्द्राज किया जाकर वह हिस्सा अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस नही दिया अपीलान्ट की सुनवाई किये बगेर व मौके की रिपोर्ट लिये बिना व स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से खारिज योग्य है।

उक्त दोनों अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया– दोनों प्रकरणों में रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर
झाबुआ

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

01. प्रकरण संख्या मि0नं0 36/अपील/20 तारीख दायरा 10.09.2020

01. शिवसिंह आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
02. मांगीलाल आ0 शिवसिंह जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बड़ाय तहसील बकानी (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. कालूसिह आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
02. भैरूसिंह आ0 जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
03. रामलाल आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
04. कमलाबाई पुत्री कन्ही राम पत्नी बालूसिंह नि0 ग्राम लालाखेड़ी तहसील सुसनेर जिला आगर(म0प्र0)
05. गीताबाई पुत्री कन्हीराम पत्नी भगवान सिी जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम नानोर तहसील बकानी
06. लीलाबाई पुत्री कन्हीराम पत्नी पूरसिंह जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम नेउखेड़ी तहसील बकानी
07. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पोडेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्करण स. 2045 दिनांक 09.07.2020 तहसीलदार बकानी

उपस्थितः— श्री संजय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 6

02 प्रकरण संख्या मि0नं0 37/अपील/20 तारीख दायरा 10.09.2020

01. शिवसिंह आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
02. मांगीलाल आ0 शिवसिंह जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बड़ाय तहसील बकानी (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. कालूसिह आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
02. भैरूसिंह आ0 जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
03. रामलाल आ0 कन्हीराम जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम बडाय तहसील बकानी
04. कमलाबाई पुत्री कन्ही राम पत्नी बालूसिंह नि0 ग्राम लालाखेड़ी तहसील सुसनेर जिला आगर(म0प्र0)
05. गीताबाई पुत्री कन्हीराम पत्नी भगवान सिी जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम नानोर तहसील बकानी
06. लीलाबाई पुत्री कन्हीराम पत्नी पूरसिंह जाति सोन्ध्या नि0 ग्राम नेउखेड़ी तहसील बकानी
07. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पोडेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्करण स. 406 दिनांक 09.07.2020 तहसीलदार बकानी

उपस्थितः— श्री संजय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 6

—: निर्णय :— दिनांकः 29.10.2020

उपरोक्त दोनो अपीलों के तथ्य लगभग एक समान होने पक्षकारान भी एक ही होने के साथ—साथ योग्य अभिभाषक फरीकेन द्वारा दोनो प्रकरणो में एक समान बहस की जाने से इन दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ ही पारित किया जा रहा है—सक्षेंप में प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैः—

प्रकरण संख्या 36/अपील/20 यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 09.07.2020 जिसके द्वारा ग्राम नेउखेडी की जमाबन्दी संख्या 96 की आराजी ख0न0 49 रकबा 1.1254 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण सख्या 406 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 3 के सयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त आराजी कन्हीराम आ0 भवानीसिंह सोन्ध्या के स्वामित्व व खातेदारी की आराजी थी। जिसका पुराना खाता सख्या 12 ख0न0 49 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा है।

जिला कलक्टर
झालावाड़